प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 732/2022
अनवान : –

1. प्रेमा पुत्री जयनारायण पत्नी रामप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गुडी पुत्री जयनारायण पत्नी नोरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक: 10.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 375/374 के खसरा न0 669, 688, 689 की कुल 49.0930है0 भूमि में से 21271/245465 हिस्सा भूमि वादीया के पिता मृतक ज्यानी उर्फ जयनारायण पुत्र किसनाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ज्यानी उर्फ जयनारायण पुत्र किसनाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो वादीया का पिता है। ज्यानी उर्फ जयनारायण पुत्र किसनाराम का देहान्त हो चुका है। ज्यानी उर्फ जयनारायण के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीया स0 1 है जो ज्यानी उर्फ जयनारायण पुत्र किसनाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

राजस्व रिकार्ड में वादीया के पिता का नाम ज्यानी पुत्र किशनाराम दर्ज है जबकि वास्तविक व सही नाम जयनारायण पुत्र किसनाराम दर्ज है। ज्यानी उर्फ जयनारायण एक ही व्यक्ति के नाम है। वादी ने प्रतिवादीया स0 1 को कई बार कहा की वादीया के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तो पहले तो आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादीया स0 1 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 2 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी रोही मौजा ननाऊ खाता स0 37[illegible] प्रदर्श–1,, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र जयनारायण वल्द किशनाराम प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र [illegible] प्रदर्श–3, सरपंच ग्राम पंचायत ननाऊ द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र व पहचान पत्र प्रदर्श–4, शपथ पत्र ज्यानी [illegible] जयनारायण के नाम के संबंध में प्रदर्श–5, विरासतन वारिसान प्रमाण पत्र प्रदर्श–6 आदि प्रदर्शित करवायें। वादी के पिता के नाम के संबंध में इन्द्राज पुत्र श्री दीनाराम जाति वाल्मिकी निवासी ननाउ व कृष्ण कुमार पुत्र श्री दलवीर सिंह जाति राजपूत निवासी ननाउ ने उपस्थित होकर शपथ पूर्वक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:51 IST
Reason: SelfAttested

बयान किये की राजस्व रिकार्ड में ज्यानी पुत्री किशनाराम का नाम दर्ज है जबकि ज्यानी व जयनारायण पुत्र किशनाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है जिनका स्वर्गवास दिनांक 17.11.2002 को हो चुका है हमने कोई तथ्य नही छुपायें है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश हो चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उभयपक्षों को सुनों एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील वादीया द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत ननाऊ द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र पेश किया गया कि उक्त कृषि भूमि में जयनारायण पुत्र किशनाराम के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि से ज्यानी पुत्री किशनाराम दर्ज हो गया है जबकि वास्तविक नाम जयनारायण पुत्र किशनाराम है जो कि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में अंकित है। वाद में वादीया द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 375/374 के खसरा न0 669, 688, 689 की कुल 49.0930है0 भूमि में से 21271/245465 हिस्सा भूमि मृतक पुत्र किसनाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों/शपथ पत्र के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 375/374 के खसरा न0 669, 688, 689 की कुल 49.0930है0 भूमि में से 21271/245465 हिस्सा भूमि मृतक ज्यानी पुत्री किसनाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में मृतक ज्यानी पुत्री किसनाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीया स0 1 को ब0हि0ब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 10/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:51 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भूकरका

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 732/2022

अनवान : –

1. प्रेमा पुत्री जयनारायण पत्नी रामप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गुडी पुत्री जयनारायण पत्नी नोरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 732 सन 2022 निर्णय दिनांक 10.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया प्रतिवादी की सहमति एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों /शपथ पत्र के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 375/374 के खसरा न0 669, 688, 689 की कुल 49.0930है0 भूमि में से 21271/245465 हिस्सा भूमि मृतक ज्यानी पुत्री किसनाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में मृतक ज्यानी पुत्री किसनाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीया स0 1 को ब0हि0ब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक ...10/6/23... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भूकरका

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:51 IST
Reason: SelfAttested